उत्तर प्रदेश

मौसम				
तापमान	गाजियाबाद	कानपुर	वाराणसी	झांसी
अधिकतम	34.0	35.0	34.0	35.0
न्यूनतम	27.0	25.0	25.0	26.0

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Tanwar Sakhubai Saidas, legally mother of No.15582385F, Rank-Hav, Name-Tanwar SatishSaidas, Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Vill-Dohari Tanda, PO-Khadgaon, Tehsil-Jamner, P/S-Jamner, Distt.-Jalgaon, Maharashtra-424206 have changed myname from TANWAR SAKHUBAI SAIDAS to SAKU SAIDAS TANWAR and age from 40 years to01/01/1958 vide Affidavit No. IN-UP96318477198547W dated 24-09-2024

0060119836-10

I, Shanti Devi, legally mother of Army No. 15571069H, Rank-Hav, Name-Mukesh Kumar Verma, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Vill-Maan, PO-Sonai, Tehsil-Iglas, P/S-Iglas, Distt.-Aligarh, Uttar Pradesh-281206 have changed my age from 44 Years to 02/05/1955 vide Affidavit No.IN-UP96310404609635W dated 24-09-2024

0060119836-9

I, Saraj Din, legally father of No. 15593391P, Rank-SPR, Name Anwar Khan, presently R/o Vill.-Mehdevi, Tehsil & District Malerkotla have changed my name from SURAJDIN to SARAJ DIN vide Affidavit No. IN-PB59608713946675W dated 23/09/2024

0060119848-3

I, Salma, Wife of Saraj Din, Mother of Dependent No. 15593391P, Rank-SPR, Name Anwar Khan, presently R/o Vill.-Mehdevi, Tehsil & District Malerkotla have changed my Date of Birth from 29/03/1977 to 01/01/1977 vide Affidavit No. IN-PB59607323806007W dated 23/09/2024

0060119848-4

I, Saidas, legally father of No.15582385F, Rank-Hav, Name-Tanwar Satish Saidas,Unit-114ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, resident of Vill-Dohari Tanda, PO-Khadgaon, Tehsil-Jamner, P/S-Jamner, Distt.-Jalgaon, Maharashtra-424206 have changed my name from SAIDAS to SAIDAS TARACHAND TANWAR and age from 45 years to 01/01/1961 vide Affidavit No.IN UP96316612950760W dated 24-09-2024

0060119836-8

I, Priyanka Bhawlal Jadhav, legally wedded spouse of No. 14840986N, Rank-Hav/MT, Name-Jadhav Bhaulal Popat, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO, presently R/o Vill-Rajapur, PO-Rajapur,Tehsil-Yeola, P/S-Yeola, Distt.-Nashik, Maharashtra-423403 have changed my name from PRIYANKA BHAWLAL JADHAV to PRIYA BHAULAL JADHAV vide Affidavit No. IN-UP96305633273159W dated 24-09-2024

0060119836-2

I, Army No. 6495001K, Rank-Hav/ASH, Name-Kamlesh Kumar Giri, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO, presently R/o Vill-Pipara Ke Mathia, PO-Akhar, Tehsil-Ballia, P/S-Dubhar, Distt.-Ballia,Uttar Pradesh-277401 have changed my Son's name from KRISHANA RAJ GIRI to KRISHNA RAJGIRI vide Affidavit No. IN-UP96307551351918W dated 24-09-2024

0060119836-1

I, Manasi Modak, legally wedded spouse of No. JC-677293N, Rank-Nb SUB/MT, Name-PalashDas, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO, presently R/o Village-Jagla, PO-Pairachali, Teh.-DaimondHarbour, P/S-Falta, Distt.-South 24 Parganas, West Bengal-743503 have changed my name fromMANASI MODAK to MANASI DAS MODAK vide Affidavit No.IN-UP82935369536121W dated 12-09-2024

0060119836-7

I NO-15419794L HAV BHUPENDRA KUMAR PAL , UNIT-AMC RECORD, VILL-DHAMPUR, POST OFFICE - MAHMUDPUR, TELIGRAPH OFFICE SHAHABAD, DIST- HARDOI, STATE-UTTAR PRADESH, DECLARE THAT IN MY SERVICE RECORD MY WIFE NAME IS WRONGLY ENTERED VINEETA DEVI WHEREAS HER CORRECT NAME IS VINEETA PAL VIDE AFFIDAVIT NO IN-UP91745754-485645W DT 20 SEP 2024
0060119852-1

I, Sangita Ishwar Gunjal, wife of Army No. 15695534X, Rank-Hav, Name-Gunjal Ishwar Sakharam, Age-42 Year, Unit-4(i) ABSC , C/o 56-APO, presently R/o Village-Satali, Teh.-Yeola, Distt.-Nashik, Maharashtra-423401 have changed my name from SANGITA GUNJAL ISHWAR to SANGITA ISHWAR GUNJAL vide Affidavit No. BY-660568 before court of Jaisalmer

0060119848-1

I, M. Sindhutai Vijay Kumar, legally mother of No.-17012533N, Rank-NK, Name-Mokashi SagarVijay Kumar, Unit-908 AD REGT(SP) WKSP, C/o 56-APO, presently R/o Vill-Alkud(S), PO-Alkud(S), Teh.-Kavathe Mahankal, P/S-Kavathe Mahankal, Distt.-Sangli, Maharashtra-416411 have changed my name from M SINDHUTAI VIJAYKUMAR to SINDHUBAI VIJAY KUMAR MOKASHI and DOB from 05/07/1965 to 01/01/1967 vide Affidavit No. IN-UP96314818735964W dated 24-09-2024

0060119836-4

I, Deivakani, legally mother of Army No. 17014782L, Rank-CFN, Name-Kaleeswaran R, Unit-631 EME BN C/o 56-APO, presently R/o Vill-Manthisunal, PO-Moolakadal, Tehsil-Andipatti, P/S-Kadamalaikundu, Distt.-Theni, Tamilnadu-625579 have changed my date of birth from 23/03/1971 to 28/11/1972 vide Affidavit No. IN-UP96320255279280W dated 24-09-2024

0060119836-3

I, Army No. 15695534X, Rank-Hav, Name-Gunjal Ishwar Sakharam, Age-42 Year, Unit-4(i) ABSC , C/o 56-APO, presently R/o Village-Satali, Teh.-Yeola, Distt.-Nashik, Maharashtra-423401 have changed my name from GUNJAL ISHOWAR SAKHARAM to GUNJAL ISHWAR SAKHARAM vide Affidavit No. BY-660569 before court of Jaisalmer

0060119848-2

I, Army No. 15146940L, Rank-Hav, Name-Om Vir Singh, Unit-269 MED REGT (SP), C/o 56-APO,presently R/o Vill-Madrua, PO-Awa, Tehsil-Tilhar, P/S-Jatipur, Distt.-Shahjahanpur, UttarPradesh-242303 have changed my Son's name from YESH YADAV to YASH YADAV vide Affidavit No. IN UP96906470761549W dated 24-09-2024

0060119836-5

I SATHYA P, Wife of No 14666037P, Nk (ATO ELECT), P PALANI MURUGAN of 664AAS(R&O) declare that my name is wrongly mentioned as A SATHIYA in my husband's Service Records. Whereas my correct name is SATHYA P as per Aadhar Card & Pan Card

0060119836-6

व्यक्तिगत

मैं विजय कुमार गुप्ता पुत्र शीतला प्रसाद निवासी- गोहुरा भोपापुर, वाराणसी 221202 मेरे सरकारी दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम HARI KRISHAN GUPTA अंकित है जो कि गलत है सही नाम HARI KRISHNA GUPTA है

व्यक्तिगत

मैं ओम पाल सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी नगला भरऊ जुगसना, मथुरा 281308 मेरे सरकारी दस्तावेजों में मेरे पिता की जन्मतिथि- 01.07.1959 अंकित है जो कि गलत है सही जन्मतिथि- 10.11.1957 है

खोया+पाया

मैं तेजिन्दर श्रीवास्तव पत्नी स्व0 सुनील कुमार श्रीवास्तव, निवासिनी-531/99, भिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, लखनऊ. यह सूचित करती हूं कि मेरी पुत्री सुप्रिया श्रीवास्तव के हाईस्कूल के दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम मीनू श्रीवास्तव अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम तेजिन्दर श्रीवास्तव अंकित है जो सत्य एवं सही है । अतः भविष्य में मुझे तेजिन्दर श्रीवास्तव के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा ।

बदायूं : वन दरोगा पर वन्य प्राणी को मारने का आरोप

वन विभाग की नर्सरी में मिले हिरण के अवशेष

बदायूं, 25 सितंबर (भाषा)।

बदायूं जिले में वन विभाग की एक नर्सरी में कथित रूप से हिरण के अवशेष पाए गए हैं। आरोप है कि महकमे के एक अधिकारी ने हिरण को मारकर उसके मांस की दावत की। मामले की जांच की जा रही है।

प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) प्रदीप कुमार वर्मा ने बुधवार को बताया कि वन उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार को बिल्सी क्षेत्र के बेहटा गुसाई में एक मृत हिरण की सूचना मिली थी, जिसे बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया गया था। मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दफन किए गए हिरण के अवशेष बाहर निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह मामला मंगलवार को तब सामने आया जब पीपुल फार एनीमल (पीएफए) संस्था के जिलाध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने वन उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार पर हिरण को मारकर उसके मांस की दावत देने का आरोप लगाया और दावा किया कि कुमार ने अपने दोस्तों की दावत करने के बाद हिरण के अवशेषों को मुजरिया थाना क्षेत्र के कौल्हाई गांव में स्थित वन विभाग की नर्सरी में दफना दिया। उन्होंने दावा किया कि हिरण का सिर गायब है और उसकी खाल वन्यजीव तस्करों को बेच दी गई है। इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी वर्मा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पोस्टमार्टम को भेजे गए अवशेष

जमीन में दबे अवशेष मिलने पर वन विभाग में खलबली मची हुई है। वन विभाग ने बरामद अवशेषों को पोस्टमार्टम को भेज दिया। एक दिन पहले ही वन्यजीव को बिना पोस्टमार्टम के दफन करने की बात सामने आई है। डीएफओ प्रदीप वर्मा ने बताया कि बिल्सी क्षेत्र के गुसाईं बेहटा में मृत हिरन पड़े होने की सूचना वन दरोगा को मिली थी। बिना पोस्टमार्टम के ही उसको दफन कर दिया गया। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह मामला मंगलवार को तब सामने आया जब पीपुल फार एनीमल (पीएफए) संस्था के जिलाध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने वन उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार पर हिरण को मारकर उसके मांस की दावत देने का आरोप लगाया और दावा किया कि कुमार ने अपने दोस्तों की दावत करने के बाद हिरण के अवशेषों को कौल्हाई गांव में स्थित वन विभाग की नर्सरी में दफना दिया।

वृद्ध ने फांसी लगाकर दी जान

उरई, 25 सितंबर (जनसत्ता)।

नगर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला रामनगर निवासी रमेश चंद्र (65 वर्ष) मानसिक रूप से परेशान रहता था ।

घर में पत्नी रामदेवी व इकलौता पुत्र आकाश रहता था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आकाश भी मजदूरी करके घर का भरण पोषण करता था। गत शाम को घर में कोई नहीं था। इसी दौरान वृद्ध ने रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने इंस्पेक्टर को भेजकर शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सार्थक दिशा में होना चाहिए : आनंदीबेन

वाराणसी, 25 सितंबर (जनसत्ता)।

राज्यपाल की उपस्थिति में 46वें दीक्षांत समारोह में 18 छात्र और छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 46वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रौद्योगिकी के सार्थक इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने डिग्री प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों से व्यावहारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों और आने वाले वर्षों में होने वाले बदलाव के लिए भी तैयार रहने को कहा।

कुलपति प्रो आनंद त्यागी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं को रोजगार दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नियमित समझौता किया जा रहा है। इसके साथ ही इस साल हमारे छात्रों ने खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। इस दौरान 97,252 डिग्रियां अपलोड हुईं। सभी 18 छात्र और छात्राओं को गोल्ड मेडल मिले। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और पावर कार्पोरेशन ग्रिड के सीएमडी आर के त्यागी मंच पर मौजूद हैं। साथ में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मंच पर हैं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बुधवार को कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मेरिट और टैलेंट के आधार पर ही सीटें हैं। मेरिट के बाहर हुए छात्रों का भी सोचें। इसलिए, तकनीक और विकास से जुड़ीं योजनाओं के प्रोजेक्ट सरकार कों भेजें।

मामूली बात पर ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या

सहारनपुर, 25 सितंबर (जनसत्ता)।

थाना एवं कस्बा गागलहेड़ी में मंगलवार रात देशी शराब की दुकान पर शराब खरीदने आए दो लोगों में मामूली बात पर हुए विवाद में 35 वर्षीय दलित युवक अनिल कुमार पुत्र ईश्वर चंद निवासी गांव दिनारपुर की पुष्पेंद्र सिंह पुत्र कुंवरपाल सिंह निवासी गांव हरियाबाद और उसके साथियों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी।

थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि मृतक अनिल कुमार और पुष्पेंद्र कुमार शराब की दुकान पर शराब खरीदने आए थे। पुष्पेंद्र कुमार ने सेल्समैन पर 10 रुपए ज्यादा लेने का आरोप लगाया तो अनिल कुमार ने कह दिया कि ये 10 रुपए ज्यादा लेते ही हैं। इसी बात को लेकर अनिल और पुष्पेंद्र में विवाद हो गया। उसी दौरान पुष्पेंद्र ने लाठी–डंडों से अनिल की पीट–पीटकर हत्या कर दी।

लूट का पर्दाफाश, अभियुक्त गिरफ्तार

चंदौली, 25 सितंबर (जनसत्ता)।

जनपद के सकलडीहा थाना क्षेत्र के एक सेवा केंद्र संचालक सुनील कुमार जो कि फल्ली गांव का निवासी है। बैंक से रुपए लेकर जाते समय बाइक से आए तीन लुटेरों द्वारा रुपए से भरे बैग की छिनैती की गई थी। घटना की जांच में लगी सकलडीहा पुलिस तथा सर्विलांस टीम ने बुधवार को घटना में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें दो बाल अपचारी शामिल हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों में सुहेल खान तथा अमित यादव एवं दो बाल अपचारी शामिल हैं। जो नोनार तुलसी आश्रम के निवासी हैं।

बलात्कार के मामले में फरार दरोगा की कुर्की के आदेश

हापुड़, 25 सितंबर (जनसत्ता)।

हापुड़ में तैनात दरोगा पर बलात्कार का मामला दर्ज होने पर आरोपी दो महीनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार है। जिसकी गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय ने हापुड़ पुलिस को फटकार लगाते हुए कुर्की के आदेश पारित किए हैं।

हापुड़ में तैनात दरोगा की करतूत से पुलिस का दामन दागदार हो गया है। एक वर्ष से युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोपी दरोगा मुकदमा दर्ज होने के बाद ड्यूटी से नदारद है।

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सीआईएन नं. : U67190MH2008PLC187552

मॉंग सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ "दायित्वधारी" सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध मॉंग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए मॉंग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मुख नीचे वर्णित राशियों का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पठित तथा अन्य दस्तावेजों/लेखनों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियान्वित, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित सम्बद्ध सूचना/ओं की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। **ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(यों) बन्धक रखी गयी हैं।**

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथियों तक कुल बकाया राशि रू.*	मॉंग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
9272476	श्रीमती नीता रे (कर्जदार) तथा श्री येजदी दारा स्वादी एवं श्रीमती अमृता येजदी स्वादी (सह-कर्जदार)	तिथि 13/09/2024 तक राशि रू. 72,48,731/- (रुपये बहत्तर लाख अड़तालीस हजार सात सौ इकतीस मात्र)	13-09-2024 तथा 07.09.2024

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरण : समस्त वह आवासीय फ्लैट नं. 3सी-307 जो 7वें तल पर, स्काई टॉवर (टॉवर नं. 3) के नाम से विदित भवन में, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स में, सुशांत गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226010 में स्थित है, जिसका क्षेत्रमापन 2381 वर्ग फुट है, जो बिल्डर बॉयर एग्रीमेंट में उल्लिखित सामान्य सुविधाओं तथा सुख-सुविधाओं के साथ है।

*संबंधित मॉंग सूचना दिनांकित उपरोक्त में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत है। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति–अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनांक : 26-09-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : लखनऊ कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Chola Enter a better life
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनांस कम्पनी लिमिटेड 648 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** चोला केस्ट, सुपर बी, सी54 एवं सी 55,4, तिरूवी का इंडस्ट्रियल इस्टेट, गुरण्डी, चेन्नई– 600032

शुद्धिपत्र

24.9.2004 को फाइनांसियल एक्सप्रेस, लखनऊ एवं जनसत्ता, लखनऊ में प्रकाशित मांग सूचना के लिये श्री/श्रीमती रोहित कुमार, ऋण खाता सं. **HL22LUC000093339** की मांग सूचना खाता के लिये। कृपया सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण प्रेम नगर कॉलोनी, ग्राम लौलाई, परगना, तहसील एवं जिला लखनऊ, उ.प्र.–226010 में स्थित आवासीय मकान सं. आर. ई–01, खसरा नं. 409, एरिया माप 1000 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दी : पूर्व : 20 फीट चौड़ा रोड की जगह उसे कृपया इस प्रकार पढ़ें: प्रेम नगर कॉलोनी, ग्राम लौलाई, परगना, तहसील एवं जिला लखनऊ, उ.प्र.–226010 में स्थित आवासीय मकान सं. आर. ई–01, खसरा नं. 409, एरिया माप 1000 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा,
तथा चौहद्दी पूर्व : 20 फीट चौड़ा रोड *पश्चिम; मकान सं. आर. डब्ल्यू 01, * उत्तर : मकान सं. आर. ई–02, * दक्षिणः दीगर सम्पत्ति। **तथा साथ ही मांग सूचना तिथि** 19.9.2024 की जगह 25.9.2024 पढ़ें। नीलामी सूचना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे।

हस्ताः/–
प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश
तिथिः 25.9.2024
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Indian Bank (A Government of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD
दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन नं0- 0522-2288988

सूचना

सेवा में,

1. **मेसर्स मर्करी कंस्ट्रक्शन (ऋणी एवं बंधककर्ता) (पार्टनरशिप फर्म)** अपने पार्टनर के माध्यम से, पताः 17 प्रगति विहार, 60 फीट रोड, जानकीपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ-226031
2. **स्व0 प्रशांत श्रीवास्तव** पुत्र माधो प्रसाद श्रीवास्तव **(पार्टनर/जमानतकर्ता)** के कानूनी उत्तराधिकारी, पताः 1/85, विशेष खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010
(i) **श्रीमती शिखा श्रीवास्तव** पत्नी स्व0 प्रशांत श्रीवास्तव, पताः 1/85, विशेष खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010
(ii) **मास्टर सूर्यांश श्रीवास्तव** पुत्र स्व0 प्रशांत श्रीवास्तव, पताः 1/85, विशेष खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010
(iii) **मास्टर श्रेयांश श्रीवास्तव** पुत्र स्व0 प्रशांत श्रीवास्तव, पताः 1/85, विशेष खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010
3. **श्री तुषार गुप्ता** पुत्र हरि कृष्ण गुप्ता **(पार्टनर/जमानतकर्ता)**, पताः ईडब्ल्यूएस-242, सेक्टर जी, जानकीपुरम, सहारा स्टेट रोड, जानकीपुरम, लखनऊ-226021

ऋण खाते मैसर्स मर्करी कंस्ट्रक्शन में पहले शुरू की गई सरफेसी कार्यवाही को वापस लेने की सूचना

खाता सं0: 6751265335, 6882079369, 6878760684 एवं 6887877591

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बैंक ने संबंधित ऋण खातों के विरुद्ध सरफेसी कार्यवाही की है।

बैंक ने मेसर्स मर्करी कंस्ट्रक्शन के उपर्युक्त खातों में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 27/10/2021 को डिमांड नोटिस एवं सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत दिनांक 23/03/2022 को कब्जा नोटिस जारी किया है।

आप उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने में विफल रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, हमने 31.08.2024 से पहले जारी किए गए उपर्युक्त डिमांड नोटिस एवं कब्जा नोटिस को वापस ले लिया है। हम भविष्य में इसे फिर से जारी करेंगे।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

दिनांकः 24.09.2024 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat
परिशिष्ट-IV-ए, अचल संपत्ति/यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, 16/104 ए, श्री सिद्धिविनायक बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित हैं, जिनका रचनागत/भौतिक अधिग्रहण मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, ''जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेचा जाएगा। एतद्वारा उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या–ए में निदर्शितानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम–8(6) व 9 के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.pnbhousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या/ उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता /गारंटर(रों)/ विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं /न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
एचओयू/केएनपी/0319/663146 सुधा मिश्रा/ देवेंद्रनाथ मिश्रा, बी.ओ.: कानपुर	दिनांक 08.04.2021 तक रू. 2,015,806.57	(भौतिक)	प्लॉट संख्या- डी-146, ईडब्ल्यूएस 1, ब्लॉक संख्या डी, बर्रा, कानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश -208001	रू. 17,70,000/-	रू. 1,77,300/-	25.10.2024	रू. 10,000/-	15.10.2024 को पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 04:30 बजे के मध्य	26.10.2024 को 2.00 से 03:30 बजे के मध्य	'शून्य / अज्ञात

*आगे के ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभार इत्यादि के साथ। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या–के में प्रकटीकृत विषय–सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें।

(1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति का उपरोक्त स्तंभ सं.–'के' में वर्णन किया गया है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्षकार, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं.–'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25% (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75%, बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह की राशि को जमा करने में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्रय पुष्टिकरण पत्र में अंकित 15 दिवसों की अनिवार्य अवधि के समापन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर विक्रय आय राशि के आशिंक भुगतान को जब्त कर लेंगे तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय कर दिया जायेगा। (4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44 गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, वह प्राधिकृत अधिकारी की, अपनी वेबसाइट www.bankeauctions.com पर ई–नीलामी के माध्यम से, विक्रय का संचालन करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री मुकेश भाटिया, जो कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं, के साथ, टोल फ्री नं.–1800 120 8800 एवं ई–मेल : auction@pnbhousing.com पर, समन्वयन कर संपर्क करना होगा अथवा www.pnbhousing.com का संदर्भ ग्रहण करना होगा।

स्थान : कानपुर, दिनांक : 25–09–2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे- 411036 शा ब्रांच ऑफ यूनिटः पहली मंजिल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन- 226001
ई-नीलामी बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत
सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जेमनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद अधिनियम के अनुसार इसे 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में जाना जाता है) जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियां ई–नीलामी के माध्यम से 15/10/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.-grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्रं. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य {ई}	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	बाधाएँ/न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो {ज्ञ}
1	ऋण संख्या HF/0043/H/21/100559 मोहम्मद आफताब (उधारकर्ता) साइमा मोहम्मद (सह–उधारकर्ता)	सूचना की तिथिः 08/01/2024 कुल बकायाः रु. 14,18,195.53/– (चौदह लाख अठारह हजार एक सौ पंचानबे पैसे तिरपन मात्र) दिनांक 08/01/2024 को वसूली तक 11प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित देय।	भौतिक	प्लॉट नंबर 15 पार्ट ओवर खसरा नंबर 148 सेमरा गौड़ी फैजुल्लागंज लखनऊ क्षेत्रफल.600. वर्ग फीट का पूरा टुकड़ा और पार्सल। यशिका मैरिज हॉल पिन कोड– 226021 से घिराः– पूर्वः– अन्य घर, पश्चिमः– गली 7 फीट, उत्तरः– आराजी भूमि, दक्षिणः– यादव जी का प्लॉट।	रु. 80,00,000/– (रु. आठ लाख मात्र)	रु. 80,000/– (केवल अस्सी हजार रुपये)	30/09/2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	28/09/2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	15/10/2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता– प्लॉट नंबर–68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नंबर– 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी– Support@bankeauctions.com. संपर्क व्यक्ति – धरनी, ईमेल आईडी– dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर– 9948182222 से ई–बोली के लिए अनिवार्य है, एवमं कि संभावित बोलीदाता लाभ उठा सकते हैं ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्हीं से इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–000651000460 और आईएफएससी कोड– आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड–कोलकाता–700001, के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 30/09/2024 को या उससे पहले निकाला गया और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता प्राप्त करें। आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क एवं सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई–मेल करना होगा और पते पर स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी – पहली मंजिल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन– 226001 मोबाइल नंबर। +91 9567626050 ई–मेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com. पर भेजनी होगी । ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।
इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 15 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए।

दिनांकः 26.09.2024 स्थानः लखनऊ हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व मेंपूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.